

## राजस्थान राजपत्र विशेषांक

# RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

#### साधिकार प्रकाशित

#### **Published by Authority**

चैत्र 2, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 23, 2021 Chaitra 2, Tuesday, Saka 1943- March 23, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञिप्तयां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या एफ.3(1)(6)प्रथम / निर्वा / 2020 / डी—99 :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

> प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव

#### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

<u>दिनांक 23 मार्च, 2021</u>

02 चैत्र, 1943 (शक)

## <u>अधिसूचना</u>

सं. 100/राज.-वि.स./3/2021:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में **179-सहाड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 को रिक्त हो गया है, **और** 

- 2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा
- (1) एवं धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-
- (अ) राजस्थान राज्य के उक्त 179-सहाड़ा विधान सभा निर्चाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
  - (क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 30 मार्च, 2021 (मंगलवार);
  - (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 31 मार्च, 2021 (बुधवार);
  - (ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने हेत् अंतिम तारीख, 03 अप्रैल, 2021 (शनिवार);

- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 04 मई, 2021 (मंगलवार);
- (इ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराहन** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा, सचिव भारत निर्वाचन आयोग

### ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

<u>Dated: 23<sup>rd</sup> March, 2021</u> 02 Chaitra, 1943 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/RJ-LA/3/2021: **WHEREAS**, the seat of Sh. Kailash Chandra Trivedi, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **179-Sahara** Assembly Constituency, has become vacant on 6<sup>th</sup> October, 2020 by reason of his death; **and** 

- 2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –
- (A) Calls upon the said 179-Sahara Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 4<sup>th</sup> May, 2021 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- **(B)** appoints, with respect to the said election, -
  - (a) the 30<sup>th</sup> March, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 31<sup>st</sup> March, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) the 3<sup>rd</sup> April, 2021 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 17<sup>th</sup> April, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

- (e) the 4<sup>th</sup> May, 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSIONOF INDIA

\_\_\_\_

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।